SANJAY SINGH

Member of Parliament (Rajya Sabha)
Leader of Parliamentary Party

Member of

- Ethics Committee
- Business Advisory Committee
- Standing Committee on Defence
- Joint Parliamentary Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024
- Joint Parliamentary Committee on One Nation One Election Bill, 2024

सत्यमेव जयते

संजय सिंह

सांसद (राज्य सभा)
संसदीय दल के अध्यक्ष

सदस्य-

- आचार समिति
- व्यवसाय सलाहकार समिति
- रक्षा संबंधी स्थायी समिति
- संयुक्त संसदीय समिति, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- संयुक्त संसदीय समिति, एक देश एक चुनाव विधेयक, 2024

Ref. No. OTML/2026/22515

Date : 10/09/2026

सेवा में,

श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

विषय: 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निस्तारण एवं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। **(प्रति संलग्न)**

इसमें उन्होंने निवेदन किया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शासन द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2022 को जारी 6,800 अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में आगामी सुनवाई (डायरी संख्या 38554/2024 एवं संबंधित प्रकरणों में दिनांक 16.09.2026) से पूर्व शासन की ओर से स्पष्ट एवं सकारात्मक विधिक पक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल विधिक रूप से संभव न हो, तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एफिडेविट के तहत दर्शाए गए रिक्त पदों पर ओबीसी एवं एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जाए। साथ ही, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को 01 जून, 2020 से प्रभावी माने जाने का प्रस्ताव भी रखा जाए, ताकि उनके हित सुरक्षित रह सकें।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न निवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे प्रकरण का शीघ्र एवं न्यायसंगत निस्तारण संभव हो सके।

सादर,

Sanjay Singh
(संजय सिंह)

Office : 129, North Avenue, New Delhi-110001
Email : mp.sanjaysingh@sansad.nic.in
Web : www.sanjaysingh.org.in
Ph.: 011-23092293, (M): +91-8588841358, 9721444433

सेवा में,

माननीय श्री संजय सिंह जी,
राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी।

संबंधित विभाग — बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिनांक 05 जनवरी 2022 को शासन द्वारा जारी 6,800 अभ्यर्थियों की सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने अथवा वैकल्पिक रूप से शासन द्वारा चिह्नित 4,946 रिक्त पदों को मेरिट डाउन करते हुए भरने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के क्रम में शासन द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2022 को लगभग 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। उक्त सूची शासन की स्वयं की पूर्ववर्ती कार्यवाही का परिणाम थी, अतः इन अभ्यर्थियों के संबंध में शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट एवं सकारात्मक विधिक पक्ष रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वर्तमान में उक्त प्रकरण डायरी नंबर 38554/2024 एवं संबंधित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा अगली तिथि 08.09.2026 निर्धारित है। अतः शासन/विभाग से अनुरोध है कि आगामी सुनवाई से पूर्व अपने शपथपत्र/एफिडेविट में 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

यदि 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल विधिक रूप से संभव न हो, तो शासन द्वारा पूर्व में चिह्नित 4,946 रिक्त पदों को मेरिट डाउन करते हुए OBC एवं SC अभ्यर्थियों से भरने का स्पष्ट प्रस्ताव/एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो हम समस्त पैरवीकर्ता इस पर अपने एडवोकेट के द्वारा सहमति देंगे।

साथ ही, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति 01 जून 2020 से प्रभावी माने जाने का प्रस्ताव भी रखा जाए, ताकि भर्ती के दौरान लागू नियमों एवं पात्रता के आधार पर इन अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रहें तथा बाद में नियमों में हुए परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

हमारा विनम्र निवेदन है कि शासन यदि उपरोक्त आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्ट एवं सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कर रहे समस्त अभ्यर्थी/पैरवीकर्ता इस समाधान पर सहमत होकर प्रकरण के शीघ्र एवं न्यायसंगत निस्तारण में सहयोग करेंगे।

अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आगामी सुनवाई से पूर्व संबंधित अधिकारियों एवं शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अथवा वैकल्पिक रूप से 4,946 रिक्त पदों को मेरिट डाउन करके भरने तथा 01.06.2020 से प्रभावी नियुक्ति के संबंध में आवश्यक एफिडेविट/प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की कृपा करें।

भवदीय

समस्त पैरवीकर्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रभावित OBC एवं SC अभ्यर्थी।

9452821082 / 9648337676

05/09/2026

यशवन्त कुमार सुल्तानपुर
9648337676
आशुतोष पटेल चन्दौली
भोला नाथ अम्बेडकर नगर